



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 29.11.2024

थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा हॉलिडे टूर पैकेज के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाली कम्पनी कंट्री हॉलिडे ट्रेवल इंडिया प्रा0लि0 का किया पर्दाफाश, कुल 32 अभियुक्त (15 पुरुष एवं 17 महिला) गिरफ्तार। कब्जे से 04 लेपटॉप, 03 मॉनीटर, 03 कीबोर्ड, 03 सीपीयू, 04 चार्जर, 02 माऊस, 02 राऊटर, 03 स्विच, 03 आईपैड, 01 मोबाइल एवं अन्य दस्तावेज बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 28.11.2024 को वादिया नें थाना सेक्टर-63 पर प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 17.11.2024 को वादिया के पास कम्पनी कंट्री हॉलिडे ट्रेवल इंडिया प्रा0लि0 के प्रतिनिधि का फोन आने तथा शाम को उक्त कम्पनी के प्रतिनिधि 1-श्रीमती ज्योति 2-श्रीयश चौधरी का वादिया के घर आकर वादिया की प्रस्तावित 09 दिवसीय यात्रा के लिये होटल का नाम बताकर वादिया से बुकिंग के नाम पर 84,000/रुपये ले लेने एवं 02 दिन में बुकिंग कंफर्म कर देने का आश्वासन देकर उक्त कम्पनी द्वारा होटल की बुकिंग न करने और वादिया द्वारा पैसे वापस मांगने पर पैसे वापस न देने के सम्बन्ध में दिया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सेक्टर-63, नोएडा पर मु0अ0सं0 542/2024 धारा 316(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 29.11.2024 को थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा कम्पनी कंट्री हॉलिडे ट्रेवल इंडिया प्रा0लि0 पर जाकर जांच की गयी तो मौके पर उक्त कम्पनी में उपस्थित कर्मचारियों के बयान एवं अन्य अभिलेखिय साक्ष्यों के आधार पर शिकायत सही पायी गयी। इसी क्रम में थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा कुल 32 अभियुक्तों (15 पुरुष एवं 17 महिला) गिरफ्तार किया गया तथा उक्त कार्य में प्रयोग किये जा रहे उपकरणों की बरामदगी की गयी। बरामदगी एवं अन्य साक्ष्य संकलन के आधार उक्त अभियोग में धारा 318(4) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है। अतः उक्त अभियोग की अग्रिम विवेचना अन्तर्गत धारा 318(4)/316(2) बीएनएस में की जायेगी।

अपराध का तरीका-- थाना स्तर पर प्राप्त शिकायतों एवं अन्य पूछताछ में यह जानकारी हुई है कि यह लोगो का ऑनलाइन (डार्क वेब) से डाटा खरीदते है तथा उन पर कॉल करके लुभावने ऑफर देकर ग्राहको के बताये स्थानो पर गोष्ठी कर उन्हे मौखिक रूप से झूठे वादे कर ग्राहको से टूर एंड ट्रेवल्स पैकेज का एग्रीमेंट करके तथा ग्राहको के घर-घर जाकर उनसे नगद एवं अपने खातो में पैसा ट्रांसफर कराते थे। इसके बाद जब इन लोगो द्वारा पैकेज के

अनुसार ग्राहको को सेवा उपलब्ध नहीं करायी जाती थी तो ग्राहक इन लोगो को अपना पैसा वापस करने के लिए कहते थे तब इन लोगो द्वारा ग्राहको का पैसा वापस नहीं किया जाता था। यह लोग रिफण्ड पॉलिसी एवं मेंबरशिप के नाम पर ठगी करते थे तथा अपने पैकेज में बतायी गयी शर्तो एवं नियमों के अनुसार सेवाएं उपलब्ध नहीं कराते थे, जब पीड़ित ग्राहक इनके कस्टमर केयर पर फोन करते थे तो यह लोग उन्हें बहकाते थे तथा कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते थे। पीड़ित ग्राहको के ज्यादा कॉल करने पर यह लोग उनके मोबाइल नम्बर ब्लॉक कर देते थे। इस प्रकार यह लोग ग्राहको को अपने लुभावने वादों में फंसाकर लाखों रुपये की ठगी को अंजाम दे रहे थे। उक्त कम्पनी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर 05 ऑफलाइन एवं 02 ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि उक्त कम्पनी द्वारा पूर्व में भी ग्राहको के साथ की गयी धोखाधडी के क्रम में थाना मगाडी रोड बेंगलूरु (कर्नाटक) पुलिस द्वारा इस कम्पनी के खातो को फ्रीज कराया जा चुका है। इनके विरुद्ध रायगढ, महाराष्ट्र में भी शिकायत दर्ज करायी गयी है। कम्पनी के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

● पुरुष अभियुक्तगण का नाम पता--

- 1-रवनीत सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह नि0 49 सी ज्ञान पार्क कृष्णा नगर थाना कृष्णा नगर दिल्ली उम्र 31 वर्ष (एजीएम)
- 2-प्रत्युस राज उर्फ प्रदोस पुत्र मुकेश कुमार मिश्रा निवासी प्रभात तारास्कूल श्रमजीवीनगर भगवानपुर मुजफ्फरपुर बिहार उम्र 24 वर्ष
- 3-सुभांकर पुत्र शिवदत्त निवासी के-4 सर्मन विहार इन्द्रापुरम गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष
- 4- मनोज कुमार पुत्र श्री भगवान दाश निवासी विजयनगर. थाना विजयनगर गा0बाद उम्र 23 वर्ष
- 5-दीपक पुत्र गोपाल निवासी जी-38 पुरानी सीमापुरी दिल्ली उम्र 31 वर्ष
- 6-योगेश कुमार पुत्र ब्रजमोहन सिंह निवासी गली नंबर 9 साइन नगर बदरपुर नई दिल्ली उम्र 23 वर्ष
- 7-हर्षित पुत्र पंकज कुमार सिंह निवासी ग्राम दलपतपुर थाना लोनार हरदोई हाल पता हनुमान मंदिर के पास बहलोलपुर उम्र 25 वर्ष
- 8-आदिल पुत्र अनिल पुत्र निवासी बी-148 साइन बाग ओखला दिल्ली उम्र 29 वर्ष
- 9-कौशल कुमार पुत्र राजेश निवासी गली नंबर 9 म0नं0 78 राहुल विहार गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष
- 10-पुष्पेंद्र पुत्र नीरज शर्मा निवासी सी-280 न्यू पंचवटी कॉलोनी गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष
- 11-सिद्धार्थ पुत्र महेश जोशी निवासी ए-51 गोविंद पुरी नेहरू कैंप कालका जी दिल्ली उम्र 28 वर्ष
- 12-रंजीत पुत्र जीत नारायण निवासी 58 बामपुर उपरहार प्रयागराज उम्र 37 वर्ष

13-मनोज कुमार पुत्र उमाशंकर निवासी म0नं0 के-89 लक्ष्मी नगर दिल्ली उम्र 30 वर्ष

14-अजय किशोर पुत्र श्याम किशोर पाठक निवासी अरविन्द गार्डन थाना बिसरख, नोएडा उम्र 36 वर्ष (एजीएम)

15-अभिषेक पुत्र सोहनलाल निवासी म0नं0 34 नासिरपुर थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष

महिला अभियुक्तगण का नाम पता--

1-अंकिता पुत्री संजय कुमार निवासी सै0 75 थाना 113, नोएडा उम्र 24 वर्ष (टीम लीडर)

2-निकिता पुत्री नरेन्द्र कुमार निवासी विजयनगर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

3-राधा वर्मा पुत्री दीन दयाल वर्मा निवासी खोडा गा0बाद उम्र 23 वर्ष

4-अंजलि पुत्री स्व जगदीश कुमार निवासी थाना मियावली दिल्ली उम्र 25 वर्ष

5-निशा पुत्री दिलीप कुमार निवासी करोल बाग दिल्ली उम्र 24 वर्ष

6-साजिमा पुत्री मोहम्मद अब्दुल्ला निवासी सादा ठापुर उम्र 19 वर्ष

7-गुंजन मौर्या पुत्री जगदीश मौर्या निवासी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

8-स्वेता पुत्री विक्रम रावत निवासी खोडा कालोनी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

9-भावना पुत्री योगेश कुमार निवासी गाजता बु०शहर उम्र 21 वर्ष

10-महक मनन्चदा पुत्री संजीव निवासी से० 53 नोएडा उम्र 31 वर्ष

11-नीलिका पुत्री राजकुमार निवासी कुरु क्षेत्र हरियाणा उम्र 27 वर्ष

12-विनीता सिंह पुत्री प्रमोद सिंह निवासी विजय नगर गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष

13-प्राची पुत्री सर्वेश कुमार निवासी बुलंदशहर उम्र 24 वर्ष

14-हिमांशी रावत पुत्री हिम्मत सिंह रावत निवासी सेक्टर 49 नोएडा उम्र 20 वर्ष

15-नीलम पुत्री वीरपाल निवासी खोड़ा गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

16-आकाशा पुत्री गिरेंद्र निवासी खोड़ा गा0बाद उम्र 21 वर्ष

17-कंचन पुत्री मंगल सेन निवासी लोधी रोड दिल्ली उम्र 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण--

- 1- 04 लेपटॉप,
- 2- 03 मोनीटर,
- 3- 03 कीबोर्ड,
- 4- 03 सीपीयू
- 5- 04 चार्जर,
- 6- 02 माऊस
- 7- 02 राऊण्टर,
- 8- 03 स्वीच,
- 9- 03 आईपैड,
- 10- 01 मोबाइल,
- 11- 03 स्विच
- 12- अन्य दस्तावेज

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

- 1- मु0अ0सं0 के 542/24 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस थाना सेक्टर-63, नोएडा
- 2- मु0अ0सं0 के 59/23 धारा 420/120बी भादवि थाना जनकपुरी, वेस्ट दिल्ली